न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 37/2017
दायरा तिथि : 20.07.2017
फैसला तिथि : 01.11.2017

प्रार्थी :–
देवाराम पुत्र श्री पेमाराम जाति सीरवी
निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–
1. जमू पत्नि पेमाजी
2. पनीया, उदीया पि0 पेमाजी जाति सीरवी नि0 मुण्डारा तहसील बाली
3. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :–
1. श्री कान्तिलाल बावल... ...अभिभाषक प्रार्थी की और से
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 2 अनुपस्थित
3. तहसीलदार, बाली ....पेरोकार सरकार

–:: आदेश ::– **दिनांक 01.11.2017**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थीगण पेश कर ग्राम मुण्डारा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1019 से 1027 में बतौर सह खातेदार दर्ज प्रार्थी का नाम **जोधाराम पुत्र पेमाराम** को त्रुटिपुर्ण बताते हुये सही व शुद्ध नाम **देवाराम पुत्र पेमाराम** दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि वादग्रस्त भूमि मुण्डारा के खसरा नंबर 1019 से 1027 रकबा 17.85 हैक्टर में फौतेदगी नामा0करण दर्ज करते समय उक्त त्रुटि हुई हैं। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में रेकर्ड में दर्ज अप्रार्थीगण का सहमति पत्र तथा केम्प कोर्ट मुण्डारा में पटवारी हल्का मुण्डारा, निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा व पैरोकार सरकार द्वारा की गई रिपोर्ट की प्रतियां पेश की गई। साथ ही अपना सही नाम **देवाराम पुत्र पेमाराम** होने के तथ्यो की ताईद में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मुण्डारा द्वारा जारी टी.सी., आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्वयं का शपथ पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, नामा0करण संख्या 243 दिनांक 3.6.1992 की प्रतिया तथा वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की प्रतियां पेश की।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबध में हितबद्ध पक्षकार सह खातेदारान् अप्रार्थीगण उसके भाईयो व माता को नोटिस जारी किये जाने पर बावजुद नोटिस तामील के अप्रार्थी संख्या–01 व 2 अनुपस्थित रहे। जिससे न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2017 व 25.10.2017 को इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा केम्प कोर्ट में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ही अप्रार्थी पेरोकार सरकार का जबाव मानते हुये प्रकरण में वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि प्रार्थी का सही व शुद्ध नाम **देवाराम पुत्र पेमाराम** हैं। जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध विद्यालय टी.सी., आधार कार्ड, राशन कार्ड में दर्ज इन्द्राजो से होती हैं। जबकि प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही सह खातेदारी भूमि ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 1019 से 1027 रकबा 17.85 हैक्टर में प्रार्थी का नाम **जोधाराम पुत्र पेमाराम** त्रुटिपुर्ण दर्ज हैं। उक्त त्रुटि नामा0करण संख्या 243 दिनांक 2.6.1992 को दाखिल करते समय होना भी प्रमाणित हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा धारित किये जा रहे दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थी का सही व शुद्ध नाम **देवाराम पुत्र पेमाराम** हैं। परन्तु उसके द्वारा धारित

शेष लगातार....2

राजस्व विविध. प्रकरण संख्या 37/2017 अनवान देवाराम बनाम जगु वगैरा अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

की जा ही सह खातेदारी कृषि भूमि ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 1019 से 1027 रकबा 17.85 हैक्टर में प्रार्थी का नाम **जोधाराम पुत्र पेमाराम** त्रुटिपुर्ण दर्ज हैं। जिसको शुद्ध किये जाने की मांग प्रार्थी द्वारा की गई हैं। इस हेतु रेकर्ड में दर्ज सह खातेदार हितबद्ध पक्ष प्रार्थी की माता व भाई ने इस बाबत् सहमति पत्र भी दे दिया हैं। तथा भूमिधारी तहसीलदार, बाली ने भी केम्प कोर्ट मुण्डारा में रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपुर्ण नाम **जोधाराम पुत्र पेमाराम** के स्थान पर **देवाराम पुत्र पेमाराम** दर्ज किये जाने की अनुशंषा की हैं। अतः बाद अवलोकन पत्रावली व सुनने वकुलाय प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम मुण्डारा स्थित भूमि खसरा नंबर 1019 से 1027 रकबा 17.85 हैक्टर में बतौर सह खातेदार दर्ज **जोधाराम पुत्र पेमाराम** के स्थान पर दुरस्ती के माध्यम से प्रार्थी का सही व शुद्ध नाम **देवाराम पुत्र पेमाराम** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, मुण्डारा आदेशानुसार रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस हेतु आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, मुण्डारा को भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(गौरव अग्रवाल)
उप - खण्ड अधिकारी, बाली
आई.ए.एस.

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 1-11-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बाली
उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner